

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(Tax Division)**

**NOTIFICATION**

Jaipur, dated: 03.01.2013

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the share certificates of Rs. 40.00 crore, to be allotted/ issued by Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. Jaipur in the name of H.E. the Governor of Rajasthan in pursuance of the decision taken in its 3rd Board Meeting, shall be exempted.

[No. F.2(98)FD/Tax/10 Part 97]

By order of the Governor,

  
(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to Government

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(Tax Division)**

**NOTIFICATION**

Jaipur, dated: 03.01.2013

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the Non-SLR Bonds of Rs.200.00 crores to be issued by the Rajasthan Financial Corporation, during Financial Year 2012-13, in pursuance of the decision taken in its 516<sup>th</sup> meeting of the Board of Directors held on 07.06.2012, shall be exempted.

[No. F.2 (49)FD/Tax 12-98]

By order of the Governor,

  
(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to Government

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,**  
**“कर-भवन”, अजमेर**

कमांक: एफ-7(40)जन/2013/964-1413

दिनांक: 09.01.2013

अधिसूचना कमांक एफ.2(98)एफडी/टैक्स/10पार्ट 97 दिनांक 03.01.13 एवं एफ.2(49)एफडी/टैक्स/12-98 दिनांक 03.01.2013 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट [www.rajstamps.gov.in](http://www.rajstamps.gov.in) पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

भ व दी य

(रिणु जयपाल)  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर